भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
भोपालपानी उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 2350 मुख्य खनिज–/मा0 प्ला0–144/पिथौ0/2022–23 दिनांक 23 सितम्बर, 2022

## कार्यालय –ज्ञाप

मै0 जे0डी0 मिनरल्स प्रो0 राजेन्द्र सिंह दफौटी पुत्र श्री नन्दन सिंह दफौटी , बी–54 जज फर्म, छोटी मुखानी हल्द्वानी जनपद नैनीताल के पक्ष में उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या 1425/VII-I-II/2021 /1(13)/18 दिनांक 23 सितम्बर, 2021 के द्वारा जनपद पिथौरागढ तहसील मुनस्यारी ग्राम बजेता क्षेत्रान्तर्गत कुल 17.967 है0 भूमि में 50 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत खनन पट्टे से संबंधित खनन योजना एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना जो कि आर0 क्यू0पी0 श्री पंकज पाण्डे द्वारा तैयार की गयी है, को वैज्ञानिक, तकनीकी एवं पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिकोण से खनन संकियाओं के सुनियोजित संचालन हेतु उपयुक्त पाये जाने के दृष्टिगत कार्यालय ज्ञाप संख्या 1762/खनन/गौण खनिज–माइनिंग प्लान/26 भू0खनि0ई0/2015–16 दिनांक 31 अक्टूबर, 2015 एवं उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 844/VII-1/2015/68–ख /2015 दिनांक 31 जुलाई, 2015 यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या 1589/VII-I/68–ख/2015 दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 द्वारा जारी उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति–2015 के प्रस्तर –3 (दो)(1) एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली–2001 के निमय–34 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1257/मु0ख0/खनन/144/पिथौ0/भू0खनि0ई0/2018–19 दिनांक 24 जुलाई, 2021 के द्वारा मै0 जे0डी0 मिनरल्स प्रो0 राजेन्द्र सिंह दफौटी पुत्र श्री नन्दन सिंह दफौटी , बी–54 जज फर्म, छोटी मुखानी हल्द्वानी जनपद नैनीताल के पक्ष में वर्ष 2021–22 से वर्ष 2025–26 हेतु अनुमोदित की गयी थी। जिला खान अधिकारी पिथौरागढ के पत्र संख्या 357 दिनांक 31.08.2022 एवं पत्र सख्या 390 दिनांक 13–09–2022 के द्वारा उक्त अनुमोदित खनन योजना में चिन्हित किये गये पिट क्षेत्र के कुछ काश्तकारों द्वारा खनन कार्य में विरोध किये जाने तथा वर्ष 2021–22 में प्रश्नगत खनन क्षेत्रान्तर्गत खनन कार्य न किये जाने से वर्ष 2021–22 का Lapse Period मानते हुये अगामी 04 वर्ष हेतु पूर्व में स्वीकृत खनन योजना को संशोधित किये जाने हेतु पट्टाधारक द्वारा किये गये अनुरोध के कम में श्री पंकज पाण्डे आर0क्यू0पी0 द्वारा तैयार संशोधित (Modified )खनन योजना एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन आगामी 04 वर्ष की अवधि हेतु खनन कार्य सेमी मैक्नाइज्ड माईनिंग से बिना ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग के वर्ष 21–22 Lapse Period, वर्ष 2022–23 हेतु 12,562टन, वर्ष 2023–24 हेतु 13,924 टन , वर्ष 2024–25 हेतु 15,275 टन, एवं वर्ष 2025–26 हेतु 17035 टन के उत्पादन हेतु संशोधित खनन योजना एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों /प्रतिबंधो के अधीन किया जाता है:–

1. किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि दस्तावेज में दी गई, उपलब्ध कराई गई सूचनाए असत्य अथवा गलत ढंग से दर्शायी गई है, तो दस्तावेज का अनुमोदन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।
2. पट्टाधारक द्वारा वर्ष 2021–22 (Lapse Period) का अपरहिार्य भाटक जिलाधिकारी पिथौरागढ/जिला खान अधिकारी पिथौरागढ से आंगणित कराकर जमा कराया जाना होगा।
3. खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम 1957 एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली–2001 के अर्न्तगत अपेक्षित कोई सूचना/विषय वस्तु का संगुप्त रखना/छिपाना यदि पाया जाता है और उसके सुधार हेतु कोई प्रस्ताव भी नही दिया जाता है, तो खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन तुरन्त प्रभाव से वापस लेना माना जायेगा।
4. खनन कार्य एवंम खनिजों के खनिज अन्वेषण/खनिज भण्डारण/खनिज का आंकलन एवं सत्यापन अनुमोदित खनन योजना के अनुसार किया जाना होगा। अनुमोदित खनन योजना एवं एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना का अनुपालन न किये जाने की दशा में खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम 1957 एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली–2001 के अनुसार कार्यवाही अमल मे लायी जायेगी।
5. आवेदक द्वारा उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या 1425/VII-I-II/2021 /1(13)/18 दिनांक 23 सितम्बर, 2021 द्वारा निर्गत शासनादेश की समस्त शर्तो का अनुपालन किया जाना होगा।
6. यह खनन योजना अन्य किसी अधिनियम जो कि खान या क्षेत्र पर लागू होते है या समय–समय पर राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या अन्य किसी सक्षम द्वारा प्रख्यापित किये जाते है, को छोडकर अनुमोदित की जाती है।
7. यह खनन योजना वन (संरक्षण) अधिनियम–1980, वन संरक्षण नियमावली 1981 और अन्य सम्बन्धित अधिनियम और नियमावली, आदेश और दिशा निर्देश जो कि इस खनन पट्टे पर समय–समय पर दिये जाये लागू होगे।

8. अनुमोदित खनन योजना किसी भी प्रभावी माननीय न्यायालय, मा0 ट्रिब्यूनल एवं किसी प्रकार के अन्य न्यायालय आदि के आदेश एवं दिशा निर्देश के लागू होने को बाधित नही करती है।
9. इस खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन किसी भी न्यायालय के सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी आदेश या निर्देश पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया गया है।
10. प्रत्येक छमाई में खनन क्षेत्र की अनुमोदित खनन योजना के अनुसार आंकलन जिला खान अधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म को आंकलन आख्या प्रस्तुत की जानी होगी।
11. धात्विक खनन अधिनियम 1961 के अनुसार खदान सुरक्षा, खदान में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की सम्पूर्ण जिम्मेदारी पट्टाधारक की होगी।
12. खनन पट्टा क्षेत्र में खनन कार्य बैन्च बनाकर किया जायेगा। पट्टाक्षेत्र में किसी भी प्रकार की ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग का उपयोग निषिद्ध रहेगा।
13. पट्टाधारक को मोटर मार्ग से खनन पिट तक जाने के लिए पक्के फुटपाथ का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
14. The Occupational safety Health and Working Conditions Code -2020 की अनुपालना की जानी होगी।
15. पट्टाधारक को पट्टाक्षेत्र में खनिज विकास एवं संरक्षण , खनन कार्य, निर्धारित स्थान पर मलवा का निस्तारण , रिटेनिंग वाल्स, प्रोग्रेसिंग माइनिंग क्लोजर प्लान, चैकडैम, वृक्षारोपण एवं गारलैंड ड्रेनेज सिस्टम, सिल्टेशन टैंक निर्माण आदि कार्य अनुमोदित खनन योजना के अनुसार करना अनिवार्य होगा।
16. पट्टाधारक को गधेरे, गूल, रास्ता एवं सार्वजनिक भूमि को संरक्षित करते हुए खनन कार्य करना होगा तथा सार्वजनिक भूमि में खनन कार्य तथा मलवा डालना पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।
17. यदि पट्टाधारक द्वारा सर्वजनिक उपयोग की भूमि में किसी प्रकार का खनन कार्य या मलवा डाला जाता है तो उसे अवैध माना जायेगा तथा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
18. खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना का निष्पादन/कियान्वयन निषेधाज्ञाओं/अधिसूचनाओं, आदि कोई हो तो के रिक्त होने के अधीन होगा।
19. आवेदक जिस खेत में कार्य करेगा उस खेत की सूचना सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/जिला खान अधिकारी, एवं सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी के कार्यालय को जिस खेत में खनन हो रहा है के भूस्वामी से किये गये अनुबन्ध की छाया प्रति खनन कार्य प्रारम्भ करने के 15 दिन पूर्व प्रस्तुत करेगा।
20. भू–सदर्भित खनन पट्टा प्लान्स सम्मिश्रण उपरान्त भू–संदर्भित वैक्टोराइज्ड खसरा प्लान से पूरी तरह मेल होना चाहिए इसके त्रुटीपूर्ण होने की दशा में सम्बन्धित आर0क्यू0पी तथा आशयपत्र धारक जिम्मेदार होगें।
21. अनुमोदित खनन योजना की स्कैन प्रति सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय, जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं आवेदक को अभिलेखार्थ यथाशीघ्र प्रस्तुत करने का दायित्व सम्बन्धित आर0क्यू0पी0/आवेदक का होगा।

**संलग्नकः संशोधित खनन योजना की अनुमोदित प्रति।**

23/9/2022
(एस0एल0पैट्रिक)
निदेशक।
O/C

पृष्ठांकन संख्याः 2350 /मु0ख0/खनन/144/पिथौ0/भू0खनि0ई0/2018–19तददिनांकित ।

प्रतिलिपिः **निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :**

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी, पिथौरागढ।
3. सदस्य सचिव राज्यस्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) उत्तराखण्ड देहरादून।
4. सदस्य सचिव उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आई0टी0 पार्क देहरादून।
5. प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग पिथौरागढ।
6. जिला खान अधिकारी, खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, पिथौरागढ।
7. जे0डी0 मिनरल्स प्रो0 राजेन्द्र सिंह दाफौटी, बी–54 जज फार्म छोटी मुखानी, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल।
8. श्री पंकज पाण्डे पुत्र श्री रमेश चन्द्र पाण्डे निवासी बी–/213, श्री नाथजी बिहार सीतपुर लखनऊ।

23/9/2022
(एस0एल0पैट्रिक)
निदेशक।
O/C